उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
सं0-4-वे0आ0-1-1122/दस-14-28(एम)/2007
लखनऊः दिनांकः अक्टूबर 31, 2014

इस अनुभाग के पत्र संख्या-वे0आ0-1-429/दस-14-28(एम)/2007 दिनांक 20 014 के क्रम में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के कार्यालय-ज्ञाप ा0सं0-1/3/2008संस्था-II(बी) दिनांक 25 सितम्बर, 2014 की (हिन्दी/अंग्रेजी) म्नलिखित को इस आशय से पृष्ठांकित की जा रही है कि कृपया प्रदेश में तैनात भारतीय सेवा के अधिकारियों को उक्त कार्यालय ज्ञाप की व्यवस्था के अनुसार 01 जुलाई, 2014 से महंगाई भत्ते का भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट करे:-

प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल।
समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

अजय अग्रवाल
सचिव।

ज्ञा-वे0आ0-1-1122(1)/दस-2014, तद्दिनांक

तेलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-2 उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
सचिवालय में तैनात अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारी।
प्रभारी, निकनेट सेल, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ ।
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

आज्ञा से,
(रमेश कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

फा.सं. 1/3/2008-संस्था-II (बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 25 सितम्बर, 2104

कार्यालय ज्ञापन

यः पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधन-पूर्व वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे केन्द्र सरकार तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए 01.07.2014 से लागू महंगाई भत्ते की दरें।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के 22 अप्रैल, 2014 के समसंख्यक का.ज्ञा. का अवलोकन ा का निदेश हुआ है जिसके तहत केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के ऐसे ारियों के संबंध में महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन किया गया है जो पांचवें केन्द्रीय वेतन ाग के अनुसार संशोधन-पूर्व वेतनमानों में अपना वेतन आहरित कर रहे हैं।

केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के उपर्युक्त श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए ार्य महंगाई भत्ते की दरें दिनांक 01.07.2014 से मौजूदा 200 प्रतिशत से बढ़ाकर 212 ात कर दी जाएंगी। 03 अक्तूबर, 2008 के समसंख्यक का.ज्ञा. में दी गई अन्य सभी शर्तें रहेंगी।

इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में आने संगठनों के ध्यान में भी लाया जाए जिन्होंने केन्द्र सरकार के वेतनमानों को अंगीकार किया

(ए. भट्टाचार्य)

अवर सचिव, भारत सरकार

मैं

अग्रेषितः भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक सूची के अनुसार (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित)

F. No. 1/3/2008-E.II (B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
****

North Block, Nev
Dated: 25th September

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Rates of Dearness Allowance applicable w.e.f. 1.7.2014 to emplo Central Government and Central Autonomous Bodies continu draw their pay in the pre-revised scale as per 5th Centra Commission.

The undersigned is directed to refer to this Department's Office Memorand even No. dated 22nd April, 2014 revising the rates of Dearness Allowance in resp employees of Central Government and Central Autonomous Bodies who conti draw their pay and allowances in the **pre-revised scales of pay** as per 5th Centr Commission.

2. The rates of Dearness Allowance admissible to the above categories of empl of Central Government and Central Autonomous Bodies shall be enhanced fro existing rate of 200% to 212% w.e.f. 1.7.2014. All other conditions as laid down O.M. of even number dated 3rd October, 2008 will continue to apply.

3. The contents of this Office Memorandum may also be brought to the notice organizations under the administrative control of the Ministries/Departments which adopted the Central Government scales of pay.

(A. Bhattash
Under Secretary to the Govt. of

To,

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution

Copy forwarded to:-
C&AG, UPSC, etc., as per standard list (with usual number of spare copies).